रजिस्टर्ड न० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 मार्च, 1987

चैत्र 3, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 448/सत्रह वि-1-1(क)—1-1987

लखनऊ, 24 मार्च, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 22 मार्च, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1987]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 19 दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(32)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51 सन् 1976 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 म, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) क पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(खख) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों के कलक्टर।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, सन 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 448 (2)/XVII-V-1—1(Ka)-1-1987

Dated Lucknow March 24, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshetra Vikas (Sansh dhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and a sented to by the Governor on March 22, 1987:

THE UTTAR PRADESH AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1987

[U. P. Act no. 4 of 1987]

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Area Development (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 19, 1986.

Amendment of section 4 of U. P. Act no. 51 of 1976

2. In section 4 of the Area Development Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely—

"(*bb*) the Collectors of the Districts falling in the Area".

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Area Development (Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 13 of 1986

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 191 सा० (विधा०)—(3290)—1987—850 (मेक०)।